www.yuvakhelparishad.org
Yuva Khel Parishad
युवा खेल परिषद (भारत)
(A UNIT OF YISG INDIA)
RHQ: B-80, Pc Colony Kankarbagh, Patna-800020
Email Id-ykpbihar@gmail.com Mo:-9430524250, 9430524155

A UNIT OF YISG INDIA

विज्ञापन संख्या – YKP/NHQ/BHR/01/20 दिनांक : 15.12.2020

YISG INDIA के द्वारा युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के परियोजना पर शारीरिक शिक्षक के चयन हेतु सूचना !

युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के परियोजना के कार्यन्वयन हेतु युवा खेल परिषद् द्वारा इसे प्रभावी बनाने हेतु बिहार के सभी जिलों में शारीरिक शिक्षक के पदों पर स्थायी नियुक्ति करने का निणर्य लिया गया है !

स्थायी नियुक्ति हेतु उपलब्ध पद का नाम, पदों की संख्या, एवं अन्य विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्रम	पद का नाम	पदों की संख्या	मानदेय	योग्यता
1.	जिला संगठन पदाधिकारी	113	24,995–29,995 प्रतिमाह	MBA अथवा किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक।
2.	शारीरिक शिक्षक	339	18,225–24,225 प्रतिमाह	मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से 10वीं या 12वीं में उत्त्तीण, मार्शल आर्ट, योगा स्काउट एवं गांइड में प्रशिक्षित अभ्यार्थीयों को वरिर्यता दी जाएगी।

2. स्थायी नियुक्ति हेतु पात्रता :–

(क) आवेदक / आवेदिका भारतीय नागरिक हो

(ख) न्युनतम उम्र 18 वर्ष

(ग) उम्र सीमा 01–08–2020 से गणना की जायेगी, जो की निम्नवत होगी :–

1. अनारक्षित वर्ग (पुरुष) 28 वर्ष
2. अनारक्षित वर्ग (महिला) 30 वर्ष
3. पिछड़ा वर्ग / अत्यन्त पिछड़ा वर्ग (पुरुष/महिला) 28 वर्ष
4. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (पुरुष/महिला) 30 वर्ष

(घ) आवेदक / आवेदिका शारीरिक रुप से पूर्ण स्वस्थ होना चाहिए, किसी भी प्रकार का विकलांगता नहीं होना चाहिए।

अन्य शर्त

1. न्युक्ति की प्रक्रिया साक्षात्कार / काउन्सलिंग के माध्यम से की जायेगी।
2. अभ्यर्थी को अर्ह अथवा अर्नह होने को सम्बन्ध में सेवा प्रदाता युवा खेल परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा।
3. किसी भी स्तर पर आवेदन पत्र के विवरण में कोई त्रुटि पायी जाती है तो आवेदन पत्र निरस्त किया जा सकता हैं।

4. अभ्यर्थी को काउन्सलिंग / साक्षात्कार व नियुक्ति के समय शैक्षिणिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों को मूल रुप में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. अभ्यर्थियों को साक्षात्कार / काउन्सलिंग में आने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।
6. अभ्यर्थियों को आवेदन फार्म में मोबाइल नम्बर एवं ईमेल आईडी अवश्य डालना है।
7. अभ्यर्थी को युवा खेल परिषद् में चयन होने के उपरान्त उसके द्वारा किये गये किसी भी प्रकार के कृत्य के कारण यदि युवा खेल परिषद् को क्षति पहुचती है तो इसकी क्षतिपूर्ती/पेनाल्टी की मांग सम्बन्धित अभ्यर्थी/कर्मी से की जायेगी।
8. कार्मिक को समयबद्ध, मृदुभाषी तथा शिष्ट होना चाहिए।
9. कार्मिक द्वारा कार्य स्थल / कार्यालय परिसर में अच्छा आचरण रखना होगा, तथा वह मादक द्रव्यपान, धुम्रपान व तम्बाकू आदि का प्रयोग नहीं करेगा, यदि इस प्रकार के आचरण होने की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसे कार्मिक पर युवा खेल परिषद् द्वारा अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होगा।

राज्य सचिव
युवा खेल परिषद
पटना बिहार,